

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2022/ 4685

प्रार्थनी

1 फुलवन्तीदेवी पत्नी खेताराम जाति जाट निवासी झूंगेरों का तला तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 डामराराम 2 पन्नाराम पिसरान डालूराम 3 रेखाराम पुत्र हिमताराम 4 विरधाराम पुत्र डालूराम 5 तीजोदेवी पत्नी पांचाराम 6 पांचा पुत्र दला जाति जाट निवासी कुम्हारों का तला (कगाऊ) तहसील व जिला बाड़मेर 7 शाखा प्रबन्धक आईडीबीआई बैंक शाखा बाड़मेर पता रेल्वे स्टेशन के पास बाड़मेर 8 शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सिणधरी चौराहा बाड़मेर पता सिणधरी चौराहा बाड़मेर 9 तहसीलदार बाड़मेर।


दिनांक - 30/12/2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 195/2022

दिनांक- 16/12/22

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा कुम्हारों का तला पटवार क्षेत्र कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 268/168 रकबा 05.0181 हैक्टयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थनी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 30/12/2022

क्रमांक :- रीडर/2022/ 4685-89

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें तथा पूर्व के आदेशों की पालना करते हुए इस प्रकरण में नेखमबन्दी करना सुनिश्चित करें।
2. पटवारी कगाऊ तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. फुलवन्तीदेवी पत्नी खेताराम जाति जाट निवासी झूंगेरों का तला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी डामराराम पुत्र डालूराम वगैरह जाति जाट निवासी कुम्हारों का तला (कगाऊ) तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर